

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का. आ. 2982(अ).—डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियां जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश क्रमांक जेड-33014/45/2020-आरसीएच/भाग.फाइल-3 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्रदान की गयी थी, के तहत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) और ऑक्सीजन इनहेलेशन (औषधीय गैस) की कीमतें का. आ 3322 (अ) दिनांक 25.09.2020, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषध विभाग; रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी जो कि दिनांक 31.03.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो” लागू था और का. आ 1335 (अ) दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से दिनांक 30.09.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू था, फिर का. आ 3936 (अ) दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से दिनांक 31.12.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू था, फिर का. आ 5424 (अ) दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से दिनांक 31.03.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू था और का. आ 1508 (अ) दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से दिनांक 30.06.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू है उसे दिनांक 30.09.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।

2. दिनांक 25.03.2021 के विस्तार के आदेश का. आ 1335 (अ), दिनांक 23.09.2021 के विस्तार के आदेश का.आ. 3936 (अ), दिनांक 28.12.2021 के विस्तार के आदेश का.आ. 5424 (अ) और दिनांक 30.03.2022 के विस्तार के आदेश का.आ. 1508 (अ) के साथ पढ़े गये दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के मूल आदेश का.आ. 3322 (अ) में उल्लिखित सभी नोट्स और अन्य सामग्री समान रूप से लागू रहेंगे किन्तु नोट (क) में "30 जून 2022 के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो "वाक्यांश के लिए" 30 सितंबर 2022 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो" पढ़ा जाए।

[कां.सं./231/99/2022/एफ/फा.सं. 8(99)/2022/डीपी/एनपीपीए.-डिवी-II]
प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

ORDER

New Delhi, the 30th June, 2022

S. O. 2982 (E).— The prices of 'Liquid Medical Oxygen (LMO)' and 'Oxygen Inhalation (Medicinal gas) in cylinder' fixed under Para 19 of the DPCO, 2013 and powers conferred under section 10(2)(l) of Disaster Management Act, 2005 delegated by Ministry of Health and Family Welfare vide Order No. Z-33014/45/2020-RCH/Pt.File-3 dated 23.09.2020, vide notification S.O. 3322(E) dated 25.09.2020, issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, applicable upto 31.03.2021 and 'extended upto 30.09.2021 vide S.O.1335(E) dated 25.03.2021, then extended upto 31.12.2021 vide S.O.3936(E) dated 23.09.2021, then extended upto 31.03.2022 vide S.O.5424(E) dated 28.12.2021 and again extended upto 30.06.2022 or until further order whichever is earlier vide S.O. 1508(E) dated 30.03.2022 are further extended upto 30.09.2022 or until further order, whichever is earlier.

2. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 3322(E) dated 25.09.2020 read with S.O.1335 (E) dated 25.03.2021, S.O. 3936(E) dated 23.09.2021, S.O. 5424(E) dated 28.12.2021 and S.O. 1508(E) dated 30.03.2022 shall remain the same and are applicable except that in Note (a) for the phrase "30th June 2022 or until further orders, whichever is earlier" it is to be read as "30th September 2022 or until further orders, whichever is earlier."

[PN/231/99/2022/F/F. No. 8(99)/2022/DP/NPPA-Div.-II]
PRASENJIT DAS, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का.आ. 2983(अ).—डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत जारी ऑक्सीजन सांद्रक (कांसेंट्रेटर्स) के लिए 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद बिक्री के पहले बिंदु(वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य को